

कार्यालय, नियंत्रक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश, भोपाल

हार्शनाबाद रोड, याचरी मंदिर के पास, भोपाल पिन - 462011

Tel. 0755-2551017 Fax- 0755-2768638 Email-cvcmhho@mn.nic.in

क्र० २६१९ /नातो/अ-१(१)रा.शा.व.प.११५

भापाल दिनांक : 13/05/2015

प्रति,

आयुक्त,  
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं  
उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
विध्यांचल भवन, भोपाल

विषय :- पेट्रोलियम प्रोडक्ट के परिवहन में संलग्न टैकरों का क्षमतावार प्रमाणीकरण की जानकारी के संबंध में ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 416/खाद्य-केरोसीन/2015 दिनांक 05-05-2015.

--00--

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । पत्र में वांछित जानकारी के अनुरूप म.प्र. विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 के नियम 12(1) के अंतर्गत अनुसूची आठ में वर्णित अनुसार शुल्क देय होगा।

प्रथम 100 लीटर के लिये शुल्क ₹0 50.00  
अतिरिक्त प्रत्येक 100 लीटर या भाग के लिये शुल्क ₹0 7.00

यदि 12 KL का टैकर है और 1 कंपार्टमेंट का है तो स्थापन शुल्क निम्नानुसार देय होगा	राशि ₹0 में
प्रथम 100 लीटर के लिये शुल्क	50.00
अतिरिक्त प्रत्येक 100 लीटर या भाग (118 सैंकड़ा X 7)	+ 833.00
एक कंपार्टमेंट के लिये देय शुल्क	योग 883.00

3 कंपार्टमेंट के लिये शुल्क का निर्धारण इस प्रकार होगा (कंपार्टमेंट 3 प्रत्येक 4000 लीटर)	राशि ₹0 में
प्रथम 100 लीटर के लिये शुल्क	50.00
अतिरिक्त प्रत्येक 100 लीटर या भाग (39 सैंकड़ा X 7)	+ 273.00
एक कंपार्टमेंट के लिये देय शुल्क	योग 323.00
इस प्रकार 323X3 (कंपार्टमेंट)	कुल योग 963.00

4 कंपार्टमेंट के लिये शुल्क का निर्धारण इस प्रकार होगा (कंपार्टमेंट 4 प्रत्येक 3000 लीटर)	राशि ₹0 में
प्रथम 100 लीटर के लिये शुल्क	50.00
अतिरिक्त प्रत्येक 100 लीटर या भाग (29 सैंकड़ा X 7)	+ 203.00
एक कंपार्टमेंट के लिये देय शुल्क	योग 253.00
इस प्रकार 253X4 (कंपार्टमेंट)	कुल योग 1012.00

पत्र के साथ म.प्र. विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 में दिए गये देय शुल्क से संबंधित जानकारी की भी संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न - उपरोक्तानुसार ।

सयुक्त नियंत्रक  
नाप-तौल(विधिक मापविज्ञान)  
म.प्र. भोपाल



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

भाग 3(III)

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जून 2011—आंक 2, संक 1933

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, चल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2011

सं. एक 13-1-2011-उन्नीस-2 -- विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 60 द्वारा प्रयुक्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, एसाधारण, मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 बनाती है, जो उक्त धारा की उपधारा (अ) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14 मार्च 2011 को, पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं.

अर्थात् :-

### नियम

- संक्षिप्त  
नाम  
विस्तार  
और  
प्रारंभ.
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 है।  
(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है।  
(3) ये ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जैसी कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निष्का करे और इन नियमों के निम्न-लिखित उपबंधों के लिए निम्न-लिखित तारीखें नियत की जा सकेंगी।
- परिभाषा
- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -  
(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1)।

1000 कि.ग्रा.	750.00	500.00
2000 कि.ग्रा.	1500.00	1000.00
5000 कि.ग्रा.	3000.00	2000.00

(2) क्षमता माप, पूरिंग माप एवं यान टैंक को सम्मिलित करते हुए :

अभिधान	फीस प्रतिताग (रु. पं.)
100 लीटर और अधिक	पहले 100 लीटर के लिये 50 रुपये और 7 रुपये प्रत्येक अतिरिक्त 100 लीटर या उसके माप के लिए
50 लीटर	60.00
20 लीटर	20.00
10 लीटर	20.00
5 लीटर	10.00
2 लीटर	10.00
1 लीटर	10.00
500 मि.ली.	10.00
200 मि.ली.	10.00
100 मि.ली.	10.00
50 मि.ली.	10.00
20 मि.ली.	10.00
10 मि.ली.	10.00
5 मि.ली.	10.00
2 मि.ली.	10.00
1 मि.ली.	10.00

(3) लम्बाई माप :

(क) अनम्य

अभिधान	फीस प्रतिताग (रु. पं.)
2 मीटर	20.00
1 मीटर	15.00
0.5 मीटर	10.00